जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

E Mail – dlsa19jaiselmer@gmail.com Phone No. 02992-294676

Helpline No. 15100

क्रमांकः– लेखा/2025/94-95

दिनांक :– 18.3.2025

सीमित बोली निविदा सूचना – 04/2024-25

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित सामग्री क्रय करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 नियम, 2013 के अनुसार फर्म/सप्लायर्स से सीलबंध लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र.. स.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा करने एवं खोलने की तिथि
1.	ऑल इन वन डेस्कटॉप कम्प्युटर मय यू.पी.एस.	रु. 1.70 लाख	रु. 3400/- (MSME Rs. 850/-)	रु. 200/-	24-03-2025 01:00 PM & 24-03-2025 03:00 PM
2.	मल्टीफंक्शनल प्रिंटर				

निविदा फार्म शुल्क 200/– रूपये ई–ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075–00–800–52–01, प्रतिभूति राशि 3400 रूपये ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443–00–103–00–00 में जमा करवाई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। निविदा राज्य सरकार के वेब पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

क्रमांक :– 94–95

दिनांक :– 18.3.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय, जैसलमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

अध्यक्ष उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

-: निविदा प्रपत्र :-

निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 200/-

निविदा सूचना क्रमांक :-

दिनांक :-

- निविदा प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा दिनांक – 24.03.2025 को 01 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
- निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि व समय दिनांक 24.03.2025 को सायं 3 बजे।

1. .... (वस्तुओं के नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता (मय टेलीफोन नं.) ....
....
....

3. किसको सम्बोधित किया गया– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर
4. निविदा की अनुमानित लागत– 1.70 लाख
5. प्रतिभूति राशि रूपये– रू. 3400/– (MSME Rs. 850/-)

7. मैं/हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना सं. .... दि. .... में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण–पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जैसलमेर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे √ करें)

(नोटेरी से प्रमाणित करवाया जाए)

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

वित्तीय निविदा दर प्रपत्र

Sr. No.		Name of Item with Description	No of item	Rate per item in Rs. (Including of all taxes)
01	कम्प्यूटर	Type All in One Business segment Processor-Intel i3/i5 with latest Generation, RAM-08 GB or above, Harddisc-512GB SSD/1 TB, Latest version of windows, linux compatable for all printers/scanner other devices minimum 6 USB having 3.2 & 3.0 port integrated Gigabit Ethernet Controller with RJ 45, Wifi and bluetooth 5.0 or higher integrated sound controller, standard keyboard, mouse Display size-23 Inch or larger display, 3 Years Warranty and support for OS with UPS	02	
02	प्रिंटर	Type- Multifunctional Printer with duplex laser printing having Min, Resolution 600X600 dpi, A4/Legal Paper support for printing/scaning Interface-LAN/USB, Compatible O.S.-Windows & Linux, 3 Years warranty and support for drivers. One extra cartridge may be include	02	

NOTE :- All the above specification should be read as Equivalent or Higher.

दरे शब्दो एवं अंको दोनो में प्रस्तुत करे। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है तो लघुहस्ताक्षर जरुर करे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

निविदा की शर्ते

नोट :– निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध मे दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व क्रय समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंवे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावें जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सकें।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।

1. निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफों में अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रुप में प्रस्तुत करनी है।
2. जिन फर्मो/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायगी उन्हीं फर्मो के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मो को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बडे लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बडे लिफाफे पर निविदा कम्पयुटर मय प्रिन्टर क्रय अंकित कर निर्धारित तिथी व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
4. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में केवल "ऑल इन वन डेस्कटॉप कम्प्यूटर मय यू.पी.एस, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर के लिए निविदत्त की गई दरों को फर्म के लैटर हैड पत्र सहित रखी जानी है। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
5. कार्यालय में प्राप्त हुई निविदाएं, उपापन समिति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में दिनांक 24.03.2025 को सायं 03:00 पी.एम. पर प्रथमतः तकनिकी निविदा को उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा।
6. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के पास सुरक्षित होंगे।
7. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर सम्बंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होंगी।
8. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

9. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

10. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई कांट–छांट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

11. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों मे वर्णित दरों में अंतर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

12. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर** में ली जाएगी।

13. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब–लैट) पर नही देगा।

14. निविदा के साथ निविदा सामग्री का नमूना उपलब्ध करवाना होगा।

15. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता फर्म की होगी।

16. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

17. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा **नियत समय (1 माह) के भी**तर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

18. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदा दाता को बाध्य होगा।

19. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमीं होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमीं की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

20. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से **07 दिन की अवधि के अंदर की** जाएगी।

21. सफल बोली दाता निर्धारित अवधि मे अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत (एमएसएमई फर्म के लिए 1 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डी.डी. जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के नाम से देय बनाया जाकर दरें स्वीकृत करने के 3 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत/बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा

22. करार निक्षेप :– सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने के 3 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/– का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

23. भुगतान :–

(1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

(2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाऐंगे।

(3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।

(4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।

24. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3. यदि प्रदायकर्त्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

25. वसूलियां :– परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

26. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनै पास आरक्षित रखेगा।

27. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
(क) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
(ख) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।
(ग) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
(घ) आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन नं.) कार्ड की प्रतिलिपि।
(ड़) जीएसटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र की प्रति।

28. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

29. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदा दाताओं द्वारा जैसलमेर न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।

30. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाइल नं..

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

<u>तकनिकी निविदा के मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण</u>

(UBN .... DATE ....)

क्र. सं.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1.	हस्ताक्षरित मूल निविदा प्रपत्र मय पृ.सं..........लगायत................	
2.	निविदा शुल्क राशि रू. 200/– जमा कराने का साक्ष्य की प्रति	
3.	प्रतिभूति (2 प्रतिशत) राशि रू. 3400/– जमा कराने के साक्ष्य की प्रति	
4.	नवीनतम जी.एस.टी./वैट क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र की छाया प्रति	
5.	प्रपत्र एस.आर.–11 की मूल प्रति	
6.	फर्म का अनुभव प्रमाण–पत्र	
7.	बैंक का नाम खाता संख्या व आई.एफ.सी.कोड सहित छाया प्रति	

हस्ताक्षर निविदादाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

अध्यक्ष उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर